



Neutral Citation No. - 2025:AHC:43743

न्यायालय संख्या - 4

प्रकरण :- रिट - ए संख्या - 19386 / 2025

याचिकाकर्ता :- क्षितिज मिश्रा

प्रत्यर्थीगण :- भारत संघ और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :- क्रांति किरण पांडे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :- भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दीपक सिंह

माननीय न्यायमूर्ति अजित कुमार

इस न्यायालय में याचिकाकर्ता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) में आरक्षी (जी.डी.) और असम राइफल्स परीक्षा - 2024 में राइफलमैन (जीडी) के पद के लिए आवेदक हैं। याचिकाकर्ता ने शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंततः उच्च रक्तचाप और सपाट पैर जैसे कारणों से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अतः चिकित्सा और समीक्षा चिकित्सा दोनों में याचिकाकर्ता को इन्हीं कारणों से अयोग्य घोषित किया गया।

याचिकाकर्ता ने अब इस न्यायालय से एक बार फिर से चिकित्सा परीक्षा कराने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसके अनुसार पहले आयोजित इसी प्रकार की परीक्षा में याचिकाकर्ता चिकित्सकीय रूप से योग्य पाया गया था।

तीसरी बार चिकित्सा परीक्षण के उद्देश्य से दायर इस याचिका में शामिल विवाद, इस न्यायालय द्वारा मिस नेहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 10905/2023 में दिनांक 13 जुलाई, 2023 को दिए गए निर्णय के आलोक में अब नया मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए यह याचिका भी रिट याचिका संख्या 10905/2023 में दिनांक 13 जुलाई, 2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार अभिलेखों में दर्ज की जाती है।

आदेश दिनांक:- 26.3.2025

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आत्मेश

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।